UPBN010072772017

Presented on : 14-09-2017
Registered on : 14-09-2017
Decided on : 07-08-2026
Duration : 8 years, 10 months, 23 days

IN THE COURT OF

A.D.AND S.J. COURT NO.6, BUDAUN

AT , Budaun

Presided Over by RISHI KUMAR, (H.J.S) JO Code UP6364

विशेष सत्र वाद संख्या-430/2017

राज्य बनाम भूरा।
मु०अ०सं०-817/2016
अंतर्गत धारा-413, 414 भा०दं०सं०
थाना-सिविल लाइन, जिला-बदायूँ।

दिनांक 07-08-2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर अभियुक्त भूरा **पुत्र उजागर निवासी ग्राम रसूलपुर थाना सिविल लाइन जिला बदायूँ पूर्व की भांति अनुपस्थित है।**

पत्रावलियों के अवलोकन से विदित है कि मु०अ०सं०-817/2016 से संबंधित सत्र वाद संख्या-430/2017, राज्य बनाम भूरा, अंतर्गत धारा-413, 414 भा०दं०सं०, थाना-सिविल लाइन, जिला-बदायूँ इस न्यायालय में विचाराधीन हैं।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में थाना सिविल लाइन, जिला बदायूँ पर वादी/उपनिरीक्षक श्री अमित कुमार के द्वारा अभियुक्त भूरा के कब्जे से की बरामद की गयी पांच अदद चोरी की मोटरसाईकिलों की फर्द बरामदगी के आधार पर मु०अ०सं०-817/2016 धारा-413, 414 भा०दं०सं० व 41/102 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत अभियोग अभियुक्त भूरा को नामित करते हुए पंजीकृत हुआ। बाद विवेचना विवेचक द्वारा अभियुक्त भूरा के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा- 413, 414 भा०दं०सं० व 41/102 दं०प्र०सं० में न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

अभियुक्त भूरा काफी समय से अनुपस्थिति चल रहा है। अभियुक्त भूरा का कोई पता न चलने के कारण और उसकी निकट भविष्य में गिरफ्तारी/उपस्थिति सम्भव होना न पाते हुये, अभियुक्त को फरार घोषित किया गया एवं वाद की कार्यवाही धारा-299 दं०प्र०सं० के तहत अग्रसारित करते हुये साक्ष्य हेतु नियत की गयी।

धारा-299 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत साक्षी एस०आई० अमित कुमार वादी मुकदमा की साक्ष्य पी०डब्लू०-1 के रूप में अंकित की गयी, जिसमें उन्होंने अभियुक्त के कब्जे से पांच अदद मोटरसाईकिल बरामद होने के संबंध में तैयार की गयी फर्द बरामदगी का विस्तृत उल्लेख करते हुए फर्द बरामदगी को प्रदर्श क-1 के रूप में साबित किया है। अभियेाजन की ओर से कहा गया है कि अन्य कोई साक्ष्य नहीं देना है। अभियोजन साक्ष्य समाप्त किया गया।

चूँकि अभियुक्त भूरा के मिलने की सम्भावना निकट भविष्य में नहीं है। ऐसी स्थिति में पत्रावली दाखिल अभिलेखागार किया जाना समीचीन है।

<u>आदेश</u>

अतः पत्रावली दाखिल अभिलेखागार हो।

अभियुक्त भूरा के विरूद्ध स्थाई वारंट पूर्व आदेशानुसार जारी किया जायें तथा आदेश की एक प्रति वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बदायूँ को इस आशय से प्रेषित की जाये कि अभियुक्त का नाम मफरूरी रजिस्टर में दर्ज कराया जाना सुनिश्चित करें एवं आदेश की एक प्रति संबंधित थाने के प्रभारी निरीक्षक को भेजी जाये कि यदि निकट भविष्य में अभियुक्त गिरफ्तार होता है तो उसे न्यायालय के समक्ष पेश करना सुनिश्चित करें।

यदि अभियुक्त **भूरा** भविष्य में जब भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा या उसे गिरफ्तार कर लाया जायेगा, उसके विरूद्ध विधि अनुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। प्रस्तुत पत्रावली में अन्य कोई अभियुक्त नहीं है। अतः वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

अभिलेखपाल को यह भी निर्देशित किया जाता है कि इस पत्रावली का कोई प्रपत्र विनिष्ट न किया जाये।

(ऋषि कुमार)
J.O. Code–UP 6364
अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश
(गैंगस्टर एक्ट) न्यायालय सं०–6, बदायूँ

Digitally signed by RISHI KUMAR
Date: 2026.08.07 10:35:13 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court